सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढ़ारकर अति0 महाप्रबंधक (मा.सं.) छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0,रायपुर
दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 03/2017 दिनांक 10.01.2017

O/o CE (EITC)
Receipt No. 7607
Date 15 FEB 2017
DGM (IT) / SE (O)
EE
Section

श्री अजय कुमार दुबे – अपीलार्थी
कार्यपालक निदेशक (वित्त)
छ.रा.वि.ट्रेडिंग कं.मर्या.
रायपुर

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या – प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,
डंगनिया– रायपुर

–:: आदेश ::–

(दिनांक 14.02.2017 को पारित)

अपीलार्थी श्री अजय कुमार दुबे ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 03/2017 दिनांक 10.01.2017 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 24.11.2016 के माध्यम से "आपके कार्यालय द्वारा अंडर सेक्रेटरी (Admn.-I) भारत शासन, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर को भेजे गए पत्र क्र. 01–05/पी.डी.–दो/223/560 दिनांक 15.11.2016 के साथ भेजी गई समस्त जानकारी जिसमें मुझसे संबंधित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन वर्षान्त 3/11, 3/13, 3/14, 3/15 तथा 3/16 शामिल था, मांगी गई थी। उपरोक्त के संदर्भ में जनसूचना अधिकारी द्वारा मुझे 09 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई किंतु धारा 8(1)(ञ) का उल्लेख करते हुए वांछित वर्षों की गोपनीय प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध नही करायी गई है।"

अतएव केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 31.10.2011 एवं 23.06.2016 को प्रसारित किए गए आदेशों के आधार पर वांछित जानकारी मुझे उपलब्ध करायी जाए।

(3) अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि उन्हें गोपनीय चरित्रावली की छायाप्रति उपलब्ध नही करायी गयी है। अतएव उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सुनवाई दिनांक 04.02.2017 को नियत कर सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–03/2017/10 दिनांक 01.02.2017 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री अजय कुमार दुबे को भी उनके द्वारा दी गई कार्यालयीन पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त श्रवण तिथि को अपीलार्थी श्री अजय कुमार दुबे उपस्थित हुए किंतु अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही.आर.मौर्या अतिआवश्यक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हेतु माननीय प्रबंध निदेशक, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर के साथ बैठक में व्यस्त थे, जो सांयकाल लगभग 6:00 बजे संपन्न हुई। अतएव निर्धारित समय

व्यतीत हो जाने एवं समय के अभाव के कारणवश निर्धारित तिथि दिनांक 04.02.2017 को अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

उपरोक्त के दृष्टिगत अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क रखने बाबत् न्यायोचित अवसर (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए उक्त अपील प्रकरण की सुनवाई पुनः दिनांक 08.02.2017 को सांय 5:00 बजे निर्धारित की गई, जिसकी सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–03/2017/12 दिनांक 06.02.2017 के माध्यम से अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को दी गई। निर्धारित तिथि दिनांक 08.02.2017 को अपीलार्थी श्री अजय कुमार दुबे उपस्थित हुए किंतु प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही.आर.मौर्या माननीय प्रबंध निदेशक, होल्डिंग कंपनी के समक्ष अन्य प्रकरण के चर्चा में व्यस्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह परमार उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।

(4) निर्धारित तिथि 08.02.2017 को प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज सिह परमार सहायक जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री अजय कुमार दुबे द्वारा अपने आवेदन दिनांक 24.11.2016 के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :–

Kindly refer letter No. 01-05/PD-II/223/560 dated 15.11.2016 from your office [GM(HR)CSPHCL] to the Under Secretary (Admn.I) Govt. of India, Ministry of Power, Room No. 225, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi -110001, forwarding my application along with the other information including ACRs for appointment to the post of Chairperson in CEA on deputation/short term contract basis. As the enclosed information to the letter is to be kept for my reference, it is requested to provide me photo copy of all the information sent to CEA as enclosed to the above referred letter. This includes the application in two parts and photocopy of ACRs for the year ending 3/11, 3/13, 3/14, 3/15 & 3/16.

उपरोक्त जानकारी गोपनीय अधिकारी कार्या0 अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर एवं सहायक प्रबंधक (मा.सं.)–दो, कार्या0–उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 01–04/जसूअ/102/2016/10153 दिनांक 28.11.2016 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने बाबत् लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग सहायक प्रबंधक (मा.सं.) –दो, द्वारा अपने यू.ओ.नोट क्रमांक 658 दिनांक 13.12.2016 के द्वारा कुल 08 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई एवं गोपनीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2967 दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2–7/2006/1/6 दिनांक 08.02.2006 के अनुसार शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली की प्रति सूचना का अधिकार के तहत नही दिया जाना है। इसी अनुक्रम में सूचना का अधिकार विधि (सूचना का अधिकार अधिनियम) का (अद्यतन, विश्लेषणात्मक एवं बिन्दुवार विवेचन) प्रथम संस्करण पुनर्मुदित वर्ष 2015, श्री आर.पी.कटारिया के द्वारा लेखांकन पुस्तक के अनुसार गोपनीय चरित्रावली का प्रकटन जनहित नही है। क्योंकि वांछित जानकारी व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है। व्यक्तिगत सूचना धारा 8(1)(ञ) के तहत् आवेदनकर्ता को देने के लिये कोई भी लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, यद्यपि कि यह जानकारी उसी व्यक्ति के द्वारा मांगी गई जिसके संबंध में है।"

संबंधित प्रभागों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10448 दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से आवेदक श्री दुबे को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत् कुल 09 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 18/– मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् सूचित किया गया। जिसके तारतम्य में आवेदक द्वारा दस्तावेज शुल्क का भुगतान नगद के द्वारा किया गया, तदपश्चात् उन्हें इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10464 दिनांक 24.12.2016 के माध्यम से कुल 09 छायापृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई।

उल्लेखनीय है कि आवेदक को वांछित गोपनीय चरित्रावली की प्रति निम्नलिखित कंडिकाओं में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना संभव नही है, जो निम्नानुसार है:–

(अ) **गोपनीय चरित्रावली रिपोर्ट का प्रकटन धारा 8 (1) (ञ) के अधीन वर्जित है। गोपनीय चरित्रावली जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एक गोपनीय दस्तावेज है। अतएव अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के तहत् किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नही है, जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो और जिसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्यकलाप अथवा हित से कोई संबंध नही हो, अथवा जो व्यक्ति की गोपनीयता को अवांछित रूप से भंग करे। किसी भी ए.सी.आर. में रिपोर्ट किये गये अधिकारी के चरित्र, क्षमता, और अन्य गुणों से संबंधित होती है, जिसके किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटन से व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछित हमला होता है।**

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, के ज्ञापन संख्या क्रमांक 10/20/2006–आई.आर. दिनांक 21.09.2007 में निहित तथ्यों के अंतर्गत गोपनीय चरित्रावली का प्रकटन किया जाना बाध्यकारी नही है।

(ब) **छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–7/2006/1/6 दिनांक 29.03.2006 के अनुसार निर्णय लिया गया है** कि "In my considered opinion A.C.R. of the employee is a confidential document of the State providing information of the same would affect the integrity and soverignty of the state. Further, it is also record of personal information of the employee which has no relationship with any public activity and interest and providing information may cause unwarranted invasion ot he privacy of the A.C.R. and about the person for whom A.C.R. is written. Hence there is no obligation on the part of the State to give information relating document of the State and is exempted from being disclosed unless the State wants."

(स) सूचना का अधिकार विधि (सूचना का अधिकार अधिनियम) का अद्यतन, विश्लेषणात्मक एंव बिन्दुवार विवेचन) प्रथम संस्करण पुनर्मुद्रित वर्ष 2015, श्री आर. पी. कटारिया के द्वारा लेखांकन पुस्तक में गोपनीय चरित्रावली के प्रकटन के संबंध में पृष्ठ कमांक 290 के पैरा कमांक 57 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि गोपनीय चरित्रावली का प्रकटन जनहित नही है। क्योकि वांछित जानकारी व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है, जिसको देने के लिए लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ञ) के अंतर्गत बाध्य नही है, यदि उसका सम्बन्ध किसी लोक हित या लोक कार्यकलाप से न हो। **गोपनीय चरित्रावली की जानकारी/दस्तावेज व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है जिसे धारा 8 (1) (ञ) के तहत आवेदनकर्ता को देने के लिये कोई भी लोक प्राधिकारी बाध्य नही है, यद्यपि कि यह जानकारी उस व्यक्ति के द्वारा मांगी गई जिसके संबंध में है।**

(द) इसी अनुकम में लेख है कि श्री सरजियस मिन्ज मुख्य सूचना आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, के महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक 11 मार्च 2015 के पृष्ठ क्रमांक 47 में स्पष्ट उल्लेख है कि कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की जानकारी नही दी जाती है। अधिनियम की धारा 8 (1)(डी)(जे) के उपबंध आकर्षित होते है।

(ई) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली, के अपील कमांक CIC/WB/A/2007/00422 Date 20.04.2007 Appellant Shri P. K. Sarin New Delhi, Public Authority, Directorate General Of Works, Central Public Works Department, (CPWD) New Delhi, के प्रकरण में CIC के पूर्ण खंडपीठ द्वारा जारी निर्णय आदेश दिनांक 19.02.2009 के पृष्ठ कमांक 12 के पैरा कमांक 26 एंव 27 में लेख किया

गया है कि This does not however imply that it will necessarily be desirable to provide either a photocopy or a certified copy of the ACRs to a public servant, similarly one cannot seek an Annual Confidential Report of some one else as a matter of right, such disclosure would be permissible only when the larger public interest so warrants.

In view of the above the respondent public Authority is directed to communicate the entries in the ACRs to the appellant for the period asked for by him in his RTI application within a period of 10 working days from the date of receipt of this Decision Notice.

(फ) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली, के अपील कमांक CIC/VS/A/2014/000943/BJ Date 24.06.2016 अपीलार्थी श्री पी.एल.सपकाले, महाराष्ट्र प्रतिअपीलार्थी केन्द्रीय रेल्वे मुख्यालय, मुंबई के प्रकरण में केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का प्रकटन व्यापक लोकहित में नही होने के कारण निषिद्ध किया गया है।

उल्लेखित कंडिकाओं में निहित तथ्यों के वशीभुत आवेदक को गोपनीय चरित्रावली की प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उक्त जानकारी व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है जिसका प्रकटन जनहित में नही है, जिसको देने के लिये लोक प्राधिकारी धारा 8(1)(ज) के अंतर्गत बाध्य नही है, यदि उसका संबंध किसी लोकहित या लोक क्रियाकलाप से न हो।

(5) उपरोक्त निर्धारित सुनवाई तिथि 08.02.2017 को प्रतिअपीलार्थी एंव अपीलार्थी उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई। उक्त तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन कर दोनो उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

(i) अपीलार्थी श्री दुबे द्वारा महाप्रबंधक (मा.सं), छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर के माध्यम से अंडर सेक्रेटरी (Admn.-I) भारत शासन, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर को भेजे गए पत्र क्रमांक 01--05/पी.डी.-दो/223/560 दिनांक 15.11.2016 में संलग्न समस्त दस्तावेज जिसमें वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन वर्षान्त 3/11, 3/13, 3/14, 3/15 तथा 3/16 शामिल है, की प्रति उपलब्ध कराये जाने का लेख किया गया है। जिसके संदर्भ में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा पैरा क्रमांक 4 के अंतर्गत 09 छायापृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, जिसमे गोपनीय चरित्रावली की प्रति समाहित नही है। अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि उन्हें गोपनीय चरित्रावली की प्रति उपलब्ध नही करायी गई है।

(ii) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 31.10.2011 एवं 23.06.2016 को प्रसारित किए गए आदेशों के आधार पर गोपनीय चरित्रावली की प्रति उपलब्ध कराये जाने बाबत् लेख किया गया है। जिसके तारतम्य में प्रतिअपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 8(1)(ज) के तहत् उक्त जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध नही करायी गई है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा कंडिका क्रमांक 4 (अ),(ब),(स),(द),(ई),(फ) में निहित तथ्यों के आधार पर जो कार्यवाही की गई है वह विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

(iii) उक्त अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के द्वारा तर्क दिया गया कि गोपनीय चरित्रावली की प्रति उपलब्ध कराया जाना लोकहित से संबंधित है, जिसके प्रकटन से गोपनीयता प्रभावित नही होगी। केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 31.10.2011 एवं 23.06.2016 एवं अनेक प्रकरणों पर गोपनीय चरित्रावली की प्रति प्रकटन किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। अतएव उपरोक्त प्रकरणों

में प्रसारित किए गए आदेशों के आधार पर अपीलार्थी को गोपनीय चरित्रावली की प्रति उपलब्ध करायी जाए। जिसकें तारतम्य में प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी/दस्तावेज व्यापक लोकहित से संबंधित नही है, अतः जानकारी प्रकटन किया जाना बाध्यकारी नही है। केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/RM/A/2014/000913-YA श्री टी. अलगूवदीवेल विरूद्ध आण्विक ऊर्जा विभाग में पारित निर्णय आदेश दिनांक 11.01.2016 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा सिविल अपील क्रमांक 7631/2002 श्री देव दत्त विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पारित निर्णय आदेश दिनांक 12.05.2008 एव उल्लेखित पैरा क्रमांक 4 के कंडिका (अ),(ब),(स),(द),(ई),(फ) में निहित तथ्यों के दृष्टिगत गोपनीय चरित्रावली की प्रति प्रकट किया जाना बाध्य नही है, यद्यपि कि यह जानकारी उसी व्यक्ति के द्वारा मांगी गई जिसके संबंध में है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक श्री अजय कुमार गुप्ता सहायक यंत्री, रायपुर के द्वारा अन्य प्रकरण में दिनांक 13.01.2016 के माध्यम से गोपनीय चरित्रावली कालखंड वर्ष 2014 एवं 2015 की प्रति सूचना का अधिकार के अंतर्गत मांगी गई है। जिसे अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत् उपलब्ध नही करायी गई है। क्योकि उक्त जानकारी लोकहित से संबंधित नही है, जिसका प्रकटन किये जाने हेतु जनसूचना अधिकारी बाध्य नही है। आवेदक द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है, जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अस्वीकार कर प्रकरण नस्तीबद्व किया गया है। उपरोक्त प्रथम अपील आदेश के तारतम्य में आवेदक श्री गुप्ता द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग, रायपुर, के समक्ष द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 25.07.2017 को निर्धारित है जो वर्तमान में प्रकियाधीन है।

(iv) यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के परिपत्र क्रमांक 01–05/पीडी–पांच/5823 दिनांक 24.12.2003 के अनुसार मंडल के सदस्यों, कार्यपालक निदेशक, मुख्य अभियंता एवं अन्य समकक्ष संवर्गों के गोपनीय चरित्रावली माननीय अध्यक्ष महोदय की अभिरक्षा में रखे व संधारित किये जाते है। अतएव श्री दुबे द्वारा वांछित कालखंडो की गोपनीय चरित्रावली इस प्रभाग में उपलब्ध नही है।

(v) इसी अनुक्रम में लेख है कि **भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, के ज्ञापन संख्या क्रमांक 10/20/2006– आई.आर. दिनांक 21.09.2007 के पैरा क्रमांक 02 एवं 03 के अनुसारः–**

- **अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के द्वारा लोक प्राधिकारी को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन सम्बद्ध अधिकारी को अथवा किसी अन्य आवेदक को करे अथवा न करे।**
- **यदि ऐसा महसूस किया जाता है कि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाना चाहिए। इस मामले में सक्षम प्राधिकारी का चयन संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।**

(vi) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित की गई है। जहाँ तक अपीलार्थी के अपील का प्रश्न है, उनके अपील आवेदन में संलग्न केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली के अपील क्रमांक CIC/SG/A/2011/002016 अपीलार्थी डॉ. अशोक कुमार, देहरादून प्रतिअपीलार्थी डॉ देवेन्द्र कुमार देहरादून आदेश दिनांक 31.10.2011 एवं केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली के अपील क्रमांक CIC/RM/A/2014/902663-YA अपीलार्थी श्री डी.सी.पांडेय, कांचीपुरम प्रतिअपीलार्थी भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर, कांचीपुरम आदेश दिनांक 23.06.2016 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि गोपनीय चरित्रावली का प्रकटन धारा 8(1)(ञ) के तहत् निषिद्ध नही किया गया है, एवं जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने बाबत् आदेशित किया गया है।

उल्लेखित कंडिकाओं में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपनीय चरित्रावली के प्रकटन के संबंध में पैरा क्रमांक 4 के कंडिका (अ),(ब),(स),(द),(ई),(फ) एवं पैरा क्रमांक 5 के कंडिका (v),(vi) में भिन्नताएँ है, जिसके कारण प्रकरण में शंका की स्थिति निर्मित हुई। उपरोक्त पैरा क्रमांक 05 के कंडिका क्रमांक 05 में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली, के द्वारा दोनों प्रकरणों में गोपनीय चरित्रावली की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिअपीलार्थी को निदेर्शित किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली, के द्वारा अनेक प्रकरणों में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का प्रकटन धारा 8(1)(ञ) के अंतर्गत निषिद्ध ना कर जानकारी/दस्तावेज (वार्षिक गोपनीय चरित्रावली) लोकहित/लोक कियाकलाप में प्रकट किया गया है।

अतएव पैरा क्रमांक 05 के कंडिका क्रमांक 05 एंव 06 में निहित तथ्यों के अंतर्गत गोपनीय चरित्रावली का प्रकटन जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो उसे प्रकटन किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी यथा माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनीज मर्यादित रायपुर से प्रकरण में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अतएव प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से पृथक रूप से अभिमत/मार्गदर्शन मांगी जावेगी। सक्षम प्राधिकारी से प्रकरण में अभिमत एवं निर्देश प्राप्त होने के उपरांत अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करायी जावेगी।

उपरोक्तानुसार प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 03/2017 दिनांक 10.01.2017 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(श्रीमती भारती पेंढारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –03/2017/ 16 **रायपुर, दिनांक** 14/02/2017

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. गोपनीय अधिकारी, कार्या0–अति0महाप्रबंधक(मा.सं.), छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक प्रबंधक (मा.सं.)–दो, कार्या0–उपमहाप्रबंधक(मा.सं.)–एक, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री अजय कुमार दुबे, कार्यपालक निदेशक (वित्त), छ.रा.वि.ट्रेडिंग कं.मर्या., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निर्धारित पंजीयन शुल्क सहित निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता:–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्रीमती भारती पेंढारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040